इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2024—आषाढ़ 13, शक 1946

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. आर.14/सी.सी/20/38 - मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

- (1) नियम 14 में, उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - "(19) अंशकालिक सदस्य, रूपए 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) प्रतिदिन बैठक फीस तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए लागू दरों पर यात्रा भत्ता तथा इसके अतिरिक्त, कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालाविध के लिए वित्त विभाग द्वारा ठहरने के लिए विहित की गई प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।"।

- (2) नियम 17 में उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
 - "(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, आयोग से सहयोजित किसी व्यक्ति को रूपए 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) प्रतिदिन बैठक फीस तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय और लागू दरों पर यात्रा भत्ता का संदाय किया जाएगा।"।

Sl. R.14/CC/20/38 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Rules, 2008, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) in rule 14, for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(19) A Part-Time Member shall be entitled for sitting fee of Rs. 2500/- (Rupees Two thousand five hundred only) per day and travelling allowance at the rates applicable to class-I officers of the State Government and in addition to, for the period spent on duty, reimbursement for staying prescribed by the Finance Department.".
- (2) in rule 17, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(3) A person associated with the Commission for the purpose of these rules shall be paid a sitting fee of Rs. 2500/- (Rupees Two thousand five hundred only) per day and travelling allowance at the rates admissible and applicable to class-I officer of the State Government.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव.